

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
गौतमबुद्ध नगर, 30प्र0

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की आकरिमक 31वीं बैठक दिनांक 03.10.2022 को सायं 04:30 बजे ऑनलाईन माध्यम से कुलपति, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में अधोलिखित सदस्यों ने प्रतिभाग किया:

शिक्षा सोसाइटी द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य

1. प्रो० सुनील कुमार खरे

डीन, आर एंड डी एंड इंस्टीट्यूट चेयर प्रोफेसर ऑफ
बायोकेमिस्ट्री एंजाइम और माइक्रोबियल बायोकेमिस्ट्री लैब,
रसायनिकी विभाग
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली

अनुपस्थित

2. प्रो० संतोष कुमार

जीओलाजी डिपार्टमेंट,
सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी, कुमाऊं विश्वविद्यालय
नैनीताल, उत्तराखंड

अनुपस्थित

3. प्रो० शैलेंद्र सिंह गौरव

डीन, कृषि फैकल्टी
प्रोफेसर एवं पूर्व प्रमुख
जेनिटक एंड प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ-240004

उपस्थित

विश्वविद्यालय के आचार्य/अधिष्ठाता/प्रभारी अधिष्ठातागण

4. प्रो० एन.पी. मेलकानियों

प्रोफेसर,
अधिष्ठाता शैक्षिक
अधिष्ठाता, प्लानिंग एण्ड रिसर्च
अधिष्ठाता स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एण्ड एप्लाइड साइंसेज

उपस्थित

5. प्रो० स्वेता आनन्द

प्रोफेसर
अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट

अनुपस्थित

6. डॉ० नीती राणा

एसोशिएट प्रोफेसर
प्रभारी अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ ह्युमैनिटीज एण्ड सोशल
साइंसेज प्रभारी अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ बुद्धिष्ठ स्टडीज एण्ड
सिविलाईजेशन
प्रभारी अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ बायोटेनोलॉजी

अनुपस्थित

7. डॉ० कीर्ति पाल

एसोशिएट प्रोफेसर
प्रभारी, अधिष्ठाता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग

उपस्थित

8. डॉ० कृष्णकांत द्विवेदी उपस्थित
प्रभारी, अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ लॉ जस्टिस एण्ड गवर्नेंस
कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य:-
9. प्रो० वंदना पाण्डेय उपस्थित
प्रोफेसर
स्कूल ऑफ ह्युमैनिटीज एण्ड सोशल साइंसेज
10. प्रो० संजय कुमार शर्मा उपस्थित
प्रोफेसर
अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ आई.सी.टी.
सचिव-प्रबन्ध बोर्ड:-
11. डॉ० विश्वास त्रिपाठी उपस्थित
कुलसचिव
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य:
12. प्रो० विवेक कुमार उपस्थित
प्रोफेसर
भारती प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
नई दिल्ली
औद्योगिक विकास के प्रतिनिधि
13. श्री मानवेन्द्र सिंह उपस्थित
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
गौतम बुद्ध नगर

::कार्यवाही का विवरण::

बोर्ड के मा० सदस्यों के स्वागत के साथ विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड की 31वीं आकस्मिक बैठक आरम्भ हुई।

31.03.01 मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील न०-3913/2022, एस.एल.पी (सिविल) न०-9214/2022 एवं डायरी न०-17212/2002 में दिये गये आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड की 30वीं बैठक के बिन्दु संख्या-30.22.15 में लिए गये निर्णय के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Conmt. Pet. (C) No. 493/2022 in C.A. No. में दिए गये आदेश दिनांक 26.09.2022 पर चर्चा एवं संशोधन हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही के सम्बन्ध में। प्रबन्ध बोर्ड की 31वीं आकस्मिक बैठक में विश्वविद्यालय के सूचीबद्ध अधिवक्ता श्री विभव मिश्रा भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। प्रबन्ध बोर्ड के मा० सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रबन्ध बोर्ड की 30वीं बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 2022 के मद संख्या-30.22.15 में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन एवं तदक्रम में माननीय कुलपति

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
Prof. Ravindra Kumar Singh
Member
Chairman
Group 1 (2022)

महोदय/अध्यक्ष प्रबन्ध बोर्ड द्वारा दिए गये अनुमोदनोपरांत श्री के० रघुपति के पुर्नस्थापन हेतु कार्यालय आदेश जी.बी.यू.-029/प्रशा./अधि.प्र./43/2022-564 दिनांक 23.09.2022 निर्गत किया गया था।

प्रबन्ध बोर्ड के मा० सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि श्री के० रघुपति द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक अवमानना याचिका Conmt. Pet. (C) No. 493/2022 in C.A. No. दायर की गयी है। जिसमें मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2022 को एक आदेश पारित किया गया है जिससे प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया गया।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.05.2022 के पैरा संख्या-16, 17 एवं 18 को एक बार पुनः प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों द्वारा संज्ञान लिया गया, जो कि निम्नवत् है:-

"16. In the result, the impugned order dated 23rd May 2018 passed by the High Court of Judicature at Allahabad, thereby dismissing the writ petition filed by the appellant and the communication passed by the said University dated 12th August 2014, thereby discontinuing the services of the appellant, are quashed and set aside.

17. The appellant is directed to be reinstated with continuity in service. However, the appellant would not be entitled to any back wages.


18. The appeal is allowed in the above terms. Pending application(s), if any, shall stand disposed of in the above terms. No order as to costs."


अतः उक्त के आलोक में प्रबन्ध बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निम्नवत् संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया

"The service of Mr. K. Ragupathi is reinstated with continuity in service, however without any back wages."

उपरोक्तानुसार, कुलसचिव, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय संशोधित प्रस्ताव के अनुपालन में आदेश निर्गत करें।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


(डॉ० विश्वास त्रिपाठी)
सचिव, प्रबन्ध बोर्ड
एवं
कुलसचिव
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय


(प्रो० रविन्द्र कुमार सिन्हा)
अध्यक्ष, प्रबन्ध बोर्ड
एवं
कुलपति
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय